22 जून, 2016 को कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 71वीं बैठक के लिए पूरक एजेंडा

मद संख्या 71.13 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) ग्राम कोक्कनहल्ली, बेंगलुरु, कर्नाटक में मैसर्स माइलस्टोन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इंटेलीजेंट कम्युनिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

10.117 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स इंटेलीजेंट कम्युनिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने संपूर्ण एसईजेड में अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण करने तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण की गतिविधियों के लिए उक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 7 अप्रैल, 2016 उपलब्ध कराया गया है। उप पट्टा विलेख दिनांक 9 अप्रैल, 2016 भी उपलब्ध कराया गया है। पट्टा की अवधि 20 साल है। सह विकासक इस करार की अवधि के दौरान विकासक को किराए के रूप में 100,000 रुपए प्रतिमाह का भुगतान करेगा। उपर्युक्त राशि में सेवा कर शामिल होगा तथा यह कर काटना, यदि लागू हो, के अधीन होगा।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 71.14 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(i) 19.76 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में राजरहाट, कोलकाता में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड का अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार की सिफारिश	आवेदन की स्थिति
(i)	मैसर्स विप्रो लिमिटेड	राजरहाट, कोलकाता	आईटी / आईटीईएस	19.76	हां	नहीं	नया

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने की सिफारिश की है।

राज्य सरकार की सिफारिश की प्रतीक्षा है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) आउटर रिंग रोड, राचनहल्ली गांव, बंगलौर, कर्नाटक में 2.5906 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स एंबेसी प्रापर्टी डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार सिफारिश	आवेदन की स्थिति

				में)			
(i)	मैसर्स एंबेसी प्रापर्टी डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	आउटर रिंग रोड, राचनहल्ली गांव, बंगलौर, कर्नाटक	आईटी / आईटीईएस	2.5906	हां	नहीं	नया

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

राज्य सरकार की सिफारिश की प्रतीक्षा है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 71.15 : औपचारिक अनुमोदनों को निरस्त करना

एसईजेड नियमावली के नियम 6(2) (क) के अनुसार, औपचारिक अनुमोदन तीन साल की अवधि के लिए वैध होता है तथा इस समय तक कम से कम 1 यूनिट द्वारा उत्पादन शुरू हो जाना चाहिए तथा ऐसे उत्पादन के आरंभ होने की तिथि से एसईजेड क्रियाशील हो जाना चाहिए। इस नियम के परंतुक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा इस औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए प्रावधान है जिसके लिए विकासक संबंधित विकास आयुक्त को फार्म सी1 में अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा जो 15 दिन के अंदर इसे अपनी टिप्पणियों के साथ अनुमोदन बोर्ड को अग्रेषित करेगा।

क्र. सं.	विकासक / सह विकासक का नाम	क्षेत्र	औपचारिक अनुमोदन की तारीख	क्षेत्र	अभ्युक्तियां
1.	मैसर्स देवभूमि रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (सर्वे नंबर 83/1, रायदुर्ग पनमाख्ता गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना)	आईटी / आईटीईएस तथा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर	30 अक्टूबर 2008	वीएसईजेड	विकासक को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 अक्टूबर, 2011 को समाप्त हो गई है। बाजार की स्थिति अनुकूल न होने के कारण विकासक ने पत्र दिनांक 26 मार्च, 2013 के माध्यम से वाणिज्य विभाग से औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने का अनुरोध किया है। 19 मई, 2016 को राज्य सरकार से एनओसी प्राप्त हो जाने के बाद वीएसईजेड द्वारा पत्र दिनांक 08 जून, 2016 के माध्यम से औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने के लिए विकासक के अनुरोध की सिफारिश की गई है। पत्र दिनांक 19 मई, 2016 के माध्यम से राज्य सरकार ने बताया है कि ध्यान से जांच करने के बाद सरकार ने 25 एकड़ के क्षेत्रफल में मैसर्सदेवभूमि रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के निरसन के प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की सिफारिश की है।

					विकास आयुक्त, वीएसईजेड के माध्यम से विकासक ने निरस्त किए जा रहे 25 एकड़ के क्षेत्रफल में से 5 एकड़ में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने का प्रस्ताव भी भेजा है। 25 एकड़ के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन के निरसन से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

****